संख्या– 4930/ 60–1–10–1/13(71)/06

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग– 1 लखनऊ : दिनांक : 03 दिसम्बर, 2010

विषय– समेकित बाल संरक्षण योजना (INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME) का क्रियान्वयन।

महोदय,

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 (यथा संशोधित अधिनियम 2006) की धारा– 62 (ए) में उल्लिखित प्राविधानों के कियान्वयन हेतु भारत सरकार की समेकित बाल संरक्षण योजना (INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME) शासनादेश संख्या–4931/60–1–10–1/13(71)/06 दिनांक 03–12–2010 के द्वारा प्रदेश में लागू की जा चुकी है।

2– समेकित बाल संरक्षण योजना (INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME) के क्रियान्वयन में जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट की महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्हीं की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण संस्था (DISTRICT CHILD PROTECTION SOSIETY) का गठन किया जाना है। जिला बाल संरक्षण संस्था जनपद के जिला मजिस्ट्रेट के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करेगी तथा जिला बाल संरक्षण संस्था, जिला बाल संरक्षण अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी के अधीन कार्यरत जिला प्रोबेशन अधिकारी के द्वारा अपने दायित्वों के अतिरिक्त जिला बाल संरक्षण अधिकारी के पदगत दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

3– जनपद स्तर पर समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत बाल संरक्षण की दिशा में संस्थागत देखरेख और गैर संस्थागत देखभाल, बाल खोज प्रणाली जिसमें वेब आधारित बाल संरक्षण प्रबन्ध सूचना प्रणाली (MIS), खोए हुए बच्चों के लिए वेबसाइट, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए विशेष सेवायें, परमातवर्ती देखरेख कार्यक्रम, दत्तक ग्रहण, पालन पोषण देखरेख, प्रायोजन कार्यक्रम, शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमन्द बच्चों के लिए खुला आवास इत्यादि कार्यक्रमों का संचालन एवं उनकी निगरानी जिला बाल संरक्षण संस्था द्वारा की जायेगी।

4– वैधानिक सेवाओं के अंतर्गत समस्त जनपदों में बाल कल्याण समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है, जिसके दृष्टिगत 67 जनपदों की समितियों के गठन की अधिसूचना निर्गत हो चुकी है तथा शेष जनपदों में गठन प्रक्रियाधीन है। देखरेख की आवश्यकता वाले जरूरतमन्द शिशुओं, बालक/बालिकाओं की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास, पुनर्वास के लिए मामलों के निपटान हेतु अंतिम प्राधिकारी के रूप में बाल कल्याण समिति तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत विधि से संघर्षरत बाल किशोरों के समस्त मामलों के निस्तारण हेतु प्रत्येक जनपद में किशोर न्याय बोर्ड गठित करना, 6[illegible] जनपदों में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जा चुका है। शेष जनपदों में गठन प्रक्रियाधीन है।

5— प्रत्येक जनपद में उपेक्षित, निराश्रित शिशुओं के लिए पालन पोषण देखभाल सहायता तथा संवर्द्ध परिवार में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने हेतु विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (SAA) की स्थापना की जाएगी जिसका संचालन जनपद स्तर पर प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जायगा। स्वैच्छिक संगठनों का चयन कर प्रस्ताव को अग्रसारित करने का कार्य जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा किया जाएगा।

6— जिला बाल संरक्षण संस्था द्वारा महिला कल्याण विभाग के संचालित राजकीय बाल गृह (बालक/बालिका/शिशु) संस्थाओं में मानसिक एवं शारीरिक रूप से अविकसित तथा एच0आई0वी0 से पीड़ित बच्चों के लिए, उनकी विशेष आवश्यकताओं एवं उनकी विशेष सेवाओं को उपलब्ध कराने के दृष्टिगत संस्था/गृहों में से 10 बच्चों की विशेषीकृत यूनिट की स्थापना की जाएगी।

7— शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में खुले आश्रय गृह देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले सभी बच्चों को विशेष रूप से भिखारियों, आवारा तथा कामकाजी बच्चों, कूड़ा बीनने वाले, छोटे विक्रेताओं, घूम–घूमकर तमाशा दिखाने वाले अनाथ, परित्यक्त, अवैध व्यापार में लगाए गए, घर से भागे हुए, प्रवासी तथा अन्य संवर्ग समूह के बच्चों के लिए स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 25 बच्चों की क्षमता वाले खुले आश्रय गृह (OPEN SHELTER HOME) आवश्यकतानुसार खोला जाना है, जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन कर प्रस्ताव पंजीकरण एवं मान्यता हेतु राज्य बाल संरक्षण संस्था के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाएगा।

8— आवश्यकतानुसार उपेक्षित, निराश्रित एवं परित्यक्त किशोरों/किशोरियों के लिए जनपद स्तर पर जहाँ पर राजकीय बाल गृह (बालक/बालिका/शिशु) संचालित न हों एवं पूर्व से विभाग द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित बाल गृह (बालक/बालिका/शिशु) को मान्यता प्राप्त न हो, में आवश्यकता के दृष्टिगत स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका/शिशु) का संचालन किया जाएगा। स्वैच्छिक संगठनों का चयन जिला बाल संरक्षण संस्था के द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के मानकों एवं नियमावली के अनुरूप चयन कर प्रस्ताव राज्य बाल संरक्षण संस्था के माध्यम से पंजीकरण/मान्यता हेतु शासन को प्रेषित किया जाएगा।

9— जिला बाल संरक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक जनपद में परित्यक्त शिशुओं को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वाधार गृह, अल्पावास गृह, जिला बाल संरक्षण संस्था के कार्यालयों में पालना शिशु स्वागत केन्द्र खोला जाना है।

10— जनपद स्तर पर विशेष पुलिस इकाई की स्थापना की जानी है, जिसके अन्तर्गत गृह विभाग द्वारा प्रत्येक जनपदों में किशोर/बाल कल्याण अधिकारी के रूप में पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी को नामित किया जा चुका है, जिसकी सहायता हेतु जिला बाल संरक्षण संस्था से दो सामाजिक कार्यकर्ता कार्य करेंगे। विशेष किशोर पुलिस इकाई को सक्रिय करने की कार्यवाही [illegible] स्तर से की जानी है।

11— समेकित बाल संरक्षण योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा निर्देश पुस्तिका प्राप्त हुई है जो जिला प्रोबेशन अधिकारियों के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है, क्रियान्वयन से पूर्व उसके सम्यक रूप से जानकारी हेतु अध्ययन किया जाना आवश्यक है। जनपद स्तर पर समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राथमिक तैयारी कर लें जिसमें प्रमुख रूप से बैठकीय स्थलों हेतु जनपद स्तर पर, बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड हेतु [illegible] 600 [illegible] रू0 5000/– (आवर्तक व्यय के अन्तर्गत) तथा जिला बाल संरक्षण समिति के कार्यालय के लिए 20 [illegible] रू0 7500/– (अनावर्तक व्यय के अन्तर्गत) [illegible] जहां पर जनपद के [illegible] हेतु उपयुक्त [illegible]

प्रयास यहां रहे कि यदि उपरोक्त संस्थाओं के लिए किराये के भवन लिए जाने हों तो एक ही परिसर/भवन में तीनों ही कार्यालय खोले जायें, यद्यपि किराये का भुगतान अलग-अलग मद से होगा। किराये के भवन का चयन करके स्वीकृति की कार्यवाही की जाए, गठित बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड को यथाशीघ्र क्रियाशील किया जाए।

उपरोक्त समस्त कार्यक्रम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत समेकित बाल संरक्षण योजना से आच्छादित है। समेकित बाल संरक्षण योजना (INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME) के समस्त कार्यक्रमों में प्राविधानित पदों के सृजन की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इस वर्ष की अवशेष अवधि के लिए समेकित बाल संरक्षण योजना (INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME) के मानकों के अनुरूप बजटीय व्यवस्था की जा चुकी है, अतः कृपया इस महत्वपूर्ण योजना के सम्पूर्ण बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 4930(1)/60-1-10-1/13(71)/06, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(नवनीत)
विशेष सचिव।